मुन्तकिली प्रकरण सं0 86/2019 (RCMS 2019/00141) अनवानी सुखनिन्द्र सिंह पुत्र गुरबचन सिंह जाति जटसिख निवासी चक 25 बीबी तहसील व जिला श्रीगंगानगर बनाम 1. गुरमीत सिह पुत्र श्री छज्जा सिंह जाति जटसिख निवासी चक 25 बीबी तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर 2. उपखण्ड अधिकारी (राजस्व), पदमपुर जिला श्रीगंगानगर

01.01.2020

प्रार्थी के अधिवक्ता श्री राजवीर सिंह उपस्थिति हुए। प्रार्थी के अधिवक्ता के प्रार्थना पत्र पर आज पत्रावली पेशी में ली गई और उन्हें सुना गया।

पत्रावली के अवलोकन से पाया कि प्रार्थी श्री सुखनिन्द्र सिंह ने **अधीनस्थ न्यायलय** उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर के न्यायालय में लम्बित एक राजस्व प्रकरण संख्या 20/2019 अनवानी गुरमीत सिंह बनाम सुखनिन्द्र सिंह अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना को लेकर उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुंतकिल करने के लिए इस न्यायालय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 235 के तहत दिनांक 07.07.2019 को पेश किया था।

अब चूंकि प्रार्थी के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि वे उक्त पत्रावली में आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहते है, इसलिए उनकी पत्रावली आज ही पेशी में ली जाकर इसी स्तर पर दाखिल दफ्तर कर दी जाये तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

मैनें प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस पर मनन किया और पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी ने उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर के न्यायालय में लम्बित एक राजस्व प्रकरण संख्या 20/2019 अनवानी गुरमीत सिंह बनाम सुखनिन्द्र सिंह अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना को लेकर अन्यत्र सक्षम

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

न्यायालय में मुंतकिल करने के लिए यह मुंतकिली प्रार्थना पत्र पेश किया था, परन्तु अब वह आगे इस पत्रावली में कोई कार्यवाही नहीं चाहता है इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र इसी आधार पर खारिज किया जाना उचित होगा है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी सुखनिन्द्र सिंह द्वारा प्रस्तुत मुंतकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति मय उनका मूल रिकॉर्ड प्रकरण संख्या 20/2019 अनवान् गुरमीत सिह बनाम सुखनिन्द्र सिंह (कुल पेज 50) पालनार्थ भिजवाया जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तक़मील दाख़िल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 01.01.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायलय में सुनाया गया।

(शिवप्रसाद एम. नकाते)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर